Telangana Today- 21- September-2022

TS plans new Irrigation Act

Move aimed at protection of 11 lakh acres of Irrigation Dept

STATE BUREAU
HYDERABAD

For effective operation and management of irrigation projects in the State, the Irrigation Department is mulling over formulating a new and comprehensive Irrigation Act soon. It is also aimed at the protection of about 11 lakh acres belonging to the department at different irrigation projects from encroachments.

Nearly 1.25 crore acres of cultivable land is directly dependent on various irrigation projects for the supply of water i.e. nearly 80 per cent of the total cultivable land in the State. The remaining land is dependent on groundwater supply.

Chief Minister K Chandrashekhar Rao had already reorganised the Irrigation Department according to the changing priorities of the irrigation sector.

"But there are around four-five different Acts, some of them enacted during the Nizam era and later in the erstwhile Andhra Pradesh. The government is now planning to combine them and prepare a comprehensive law," said a senior official in the Irrigation Department.

Special Chief Secretary for Irrigation Rajat Kumar has been holding discussions with the top officials in the Irrigation Department. They discussed and sought suggestions on various topics to be covered under the new law which will be formulated as per the directions of the Chief Minister.

The new Act will deal with all aspects including land acquisition, operation and maintenance of irrigation projects.

It has been decided to study the existing comprehensive laws of Maharashtra, Kerala, Jammu and Kashmir and other States and include the best practices in the proposed law to be enacted in Telangana. Another meeting is expected to be held within a fortnight to study and discuss these existing laws.

The officials said the new and comprehensive Irrigation Act will deal with all aspects of the Irrigation Department including land acquisition, operation and maintenance of the projects, pump houses, distributories, canals and other components of the irrigation projects. It will also deal with flood water management in more than 20 major irrigation projects.

Stringent laws are being included to protect the Irrigation Department lands and punish the encroachers severely. Though about 11 lakh acres were acquired by the Irrigation Department for backwaters and other purposes, they are being encroached upon by locals for cultivation of lands when the water recedes, without any legal entitlement and even after the compensation is paid. The State government did not take any action against such people earlier but is currently considering punishments under the new law to safeguard its irrigation projects.

Millennium Post- 21- September-2022

Monsoon starts withdrawing, 8 states report deficient rain

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The south-west monsoon on Tuesday started withdrawing from parts of south-west Rajasthan and adjoining Kutch in Gujarat, with at least eight states, including rice bowl states of Uttar Pradesh and Bihar reporting deficient rains.

It was for the first time since 2016 that the monsoon started withdrawing in the third week of September.

"Southwest monsoon has withdrawn from parts of south-west Rajasthan & adjoining Kutch today, against its normal date of withdrawal from south-west Rajasthan of September 17," the India Meteorological Department (IMD) tweeted.

The weather office said the conditions for withdrawal of monsoon - no rains for five days, formation of anti-cyclone and dry weather conditions over the region - were met.

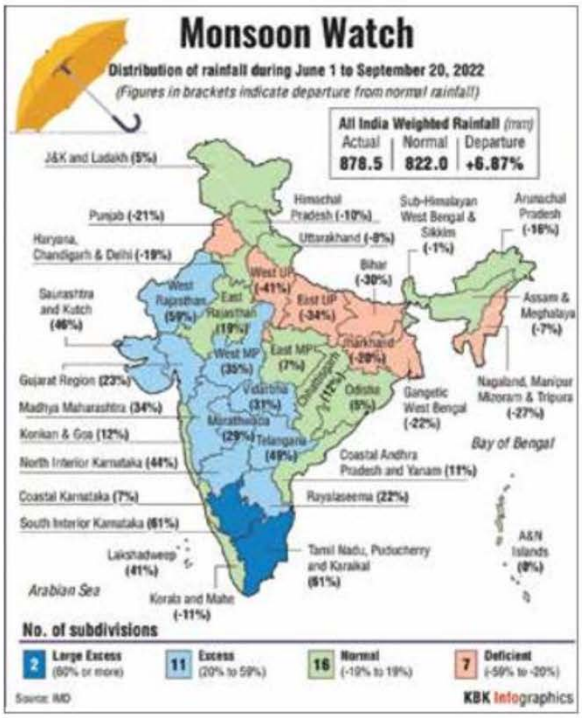

It was for the first time since 2016 that the monsoon started withdrawing in the third week of September

"The line of withdrawal of the southwest monsoon passes through Khajuwala, Bikaner, Jodhpur and Naliya," it said.

According to the weather office, India had received 7 per cent excess rains, but eight states - Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Delhi, Punjab, Tripura, Mizoram and Manipur - recorded deficit rainfall.

The south-west monsoon season begins on June 1 and continues till September 30.

India received 878.5 mm of rainfall between June 1 and September 20, which was 7 per cent higher than the normal rainfall of 822 mm for the period under review.

The deficient rains in Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal and Madhya Pradesh has hit sowing for paddy in the states. As of September 16, the area sown to paddy was 18.90 lakh hectares less than the previous year during the kharif season.

According to the agriculture ministry, area sown to paddy as on September 16 was 399.03 lakh hectares as against 417.93 lakh hectares last year.

Of the 75 districts in Uttar Pradesh, 13 are in the large deficient category (-60 to -99 per cent rain deficit) and 46 in the deficient category -20 to -59 per cent), but the state has good irrigation facilities which were deployed during the sowing operations.

As many as 20 districts in Jharkhand, 10 districts in Bihar and four districts in West Bengal have reported less than 75 per cent sowing.

Rashtriya Sahara- 21- September-2022

सूखा और बाढ़ का गणित

मुद्दा

रोहित कौशिक

इस बार 'भारतीय मौसम विज्ञान विभाग' ने देश में सामान्य बारिश का अनुमान लगाया था लेकिन देश के कई हिस्से सूखे से जूझ रहे हैं। कई जगहों पर कम बारिश से धान की खेती प्रभावित हुई है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में सूखे की वजह से किसानों को समस्याओं का सामना कर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में जून से 10 सितम्बर तक बारिश का आंकड़ा 50 फीसदी से भी नीचे गिर चुका है। उधर, देश के अनेक हिस्से बाढ़ से जूझ रहे हैं, जहां बाढ़जनित हादसों में कई लोगों की जान जा चुकी है।

दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि हमारे देश में कई स्थान ऐसे हैं कि जहां एक ही इलाके को बारी-बारी से सूखे और बाढ़ का सामना करना पड़ता है। विकास की विभिन्न परियोजनाओं के लिए जिस तरह से जंगलों को नष्ट किया गया और पेड़ों की कटाई की गई, उसने स्थिति को और भयावह बना दिया। इस भयावह स्थिति के कारण मानसून तो प्रभावित हुआ ही, भू-क्षरण एवं नदियों द्वारा कटाव किए जाने की प्रवृत्ति भी बढ़ी। बाढ़ और सूखा प्राकृतिक आपदाएं भर नहीं हैं, बल्कि एक तरह से प्रकृति की चेतावनियां भी हैं। सवाल है कि हम पढ़-लिख लेने के बावजूद प्रकृति की इन चेतावनियों को क्या समझ पाते हैं। विडम्बना ही है कि पहले से अधिक पढ़े-लिखे समाज में प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीवन जीने की समझदारी अभी भी विकसित नहीं हो पाई है। बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं पहले भी आती थीं लेकिन उनका अपना अलग शास्त्र और तंत्र था। इस दौर में मौसम विभाग की भविष्यवाणियों के बावजूद हम बाढ़ का पूर्वानुमान नहीं लगा पाते हैं। दरअसल, प्रकृति के साथ जिस तरह का सौतेला व्यवहार हम कर रहे हैं, उसी तरह का सौतेला व्यवहार प्रकृति भी हमारे साथ कर रही है। पिछले कुछ समय से भारत को जिस तरह से सूखे और बाढ़ का सामना करना पड़ा है, वह आईपीसीसी की जलवायु परिवर्तन पर आधारित उस रिपोर्ट का ध्यान दिलाता है, जिसमें जलवायु परिवर्तन के कारण देश को बाढ़ और सूखे जैसी आपदाएं झेलने की चेतावनी दी गई थी।

आज ग्लोबल वार्मिंग जैसा शब्द इतना प्रचलित हो गया है कि इस मुद्दे पर हम बनी-बनाई लीक पर ही चलना चाहते हैं। यही कारण है कि कभी आईपीसीसी की रिपोर्ट को संदेह की नजर से देखने लगते हैं, तो कभी ग्लोबल वार्मिंग को अनावश्यक हौव्वा मानने लगते हैं। विडम्बना ही है कि इस मुद्दे पर बार-बार सच से मुंह मोड़ना चाहते हैं। दरअसल, प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा जलवायु परिवर्तन

के किस रूप में हमारे सामने होगा, यह नहीं कहा जा सकता। जलवायु परिवर्तन का एक ही जगह पर अलग-अलग असर हो सकता है। यही कारण है कि हम बार-बार बाढ़ और सूखे का ऐसा पूर्वानुमान नहीं लगा पाते जिससे लोगों के जान-माल की समय रहते पर्याप्त सुरक्षा हो सके। शहरों और कस्बों में होने वाले जल भराव के लिए काफी हद तक हम भी जिम्मेदार हैं। पिछले कुछ वर्षों में कस्बों और शहरों में जो विकास और विस्तार हुआ है, उसमें पानी की समुचित निकासी की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। गंदे नालों की पर्याप्त सफाई न होने से उनकी पानी बहाकर ले जाने की क्षमता लगातार कम हो रही है। यही कारण है कि देश के अधिकतर कस्बों और शहरों में थोड़ी बारिश होने पर ही सड़कों पानी भर जाता है। गौरतलब है कि 1950 में हमारे यहां लगभग ढाई करोड़ हेक्टेयर भूमि ऐसी थी जहां पर बाढ़ आती थी लेकिन अब लगभग सात करोड़ हेक्टेयर भूमि ऐसी है, जिस पर बाढ़ आती है। इसकी निकासी का कोई समुचित तरीका नहीं है। हमारे देश में केवल चार महीनों के भीतर ही लगभग अस्सी फीसद पानी गिरता है। उसका वितरण इतना असमान है कि कुछ इलाके बाढ़ और बाकी इलाके सूखा झेलने को अभिशप्त हैं। इस तरह की भौगोलिक असमानताएं हमें बहुत कुछ सोचने को मजबूर करती हैं।

पानी का सवाल हमारे देश की जैविक आवश्यकता से भी जुड़ा है। दरअसल, पानी के समान वितरण की व्यवस्था किए बगैर हम विकास के नये आयाम के बारे में नहीं सोच सकते। हमें सोचना होगा कि बाढ़ के पानी का सदुपयोग कैसे किया जाए। बाढ़ के संबंध में विशेषज्ञ चेतावनी देते रहते हैं कि भविष्य में बाढ़ की प्रकृति और प्रकृति लगातार बदलती रहेगी। इसलिए हमें एक तरफ अपने आपदा प्रबन्ध तंत्र को जागरूक और सक्रिय बनाना होगा तो दूसरी तरफ अपने पारंपरिक जल स्रोतों पर भी गंभीरता से ध्यान देना होगा। गौरतलब है कि देश में बाढ़ से होने वाले नुकसान का लगभग साठ फीसद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और आंध्र प्रदेश में आई बाढ़ के माध्यम से होता है। बाढ़ पर राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में बाढ़ के कारण हर साल करोड़ों रुपये का नुकसान होता है, जो नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है। विश्व में बाढ़ से होने वाली मौतों में पांचवा हिस्सा भारत का है। बाढ़ हमारे देश में ही कहर नहीं ढा रही, बल्कि चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल जैसे देश भी इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। सूखे के कारण दुनिया के बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। बिजली उत्पादन, कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यटन उद्योगों पर बुरा असर पड़ रहा है। हालांकि हमारे देश में सूखे और बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए अनेक घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन मात्र घोषणाओं से पीड़ितों का दर्द कम नहीं होता। सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि घोषणाओं का लाभ पीड़ितों तक भी पहुंचे।